



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274068
CG-DL-E-03072026-274068

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3347]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3347]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

का.आ. 3482(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 2026 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है), में खंड 2 के,-
 - उपखंड (ज) में, "संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों" शब्दों के पश्चात, "और जैव गैस संयंत्रों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - उपखंड (णणक) में, "संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों" शब्दों के पश्चात, "और जैव गैस संयंत्रों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त आदेश में खंड 8 के उपखंड (3) में, सातवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माता को इस आदेश के खंड 8 के उपखंड (3) के अधीन, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 2026 के, प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।"

4. अनुसूची 8 के शीर्षक, "संपीडित जैव गैस संयंत्रों से कार्बनिक कार्बन संवर्द्धक"

में, "संयंत्रों" शब्द के पश्चात् "और जैव गैस संयंत्रों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे

[फा. सं. 4-8/2026 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित हुआ था और संख्यांक का.आ. 2105 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2026 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 29th June, 2026

S.O. 3482(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Seventh Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, —

(a) in sub-clause (h), after the words "Compressed Bio Gas plants", the words "and Bio Gas plants" shall be inserted;

(b) in sub-clause (ooo), after the words "Compressed Bio Gas plants", the words "and Bio Gas plants" shall be inserted.

3. In the said Order, in clause 8, in sub-clause (3), for the Seventh proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided also that the manufacturer of Fermented Organic Manure and Liquid Fermented Organic Manure, shall not be required to obtain the authorisation letter under sub-clause (3) of clause 8 of this Order for a period of ten years from the date of publication of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Seventh Amendment Order, 2026."

4. In Schedule VIII, in the heading “Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas plants”, after the word “plants”, the words “and Bio Gas plants” shall be inserted.

[F. No. 4-8/2026-Fert. Law]
FRANKLIN L KHOBUNG, Jt. Secy.

Note: – The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number G.S.R. 758 (E), dated the 25th September, 1985 and was last amended *vide* S.O. 2105 (E), dated the 27th April, 2026.